262

कुलपति महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की मान्यता बोर्ड की दिनांक 03/06/2019 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सम्पन्न सातवीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित ने प्रतिभाग किया :-

प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति	अध्यक्ष
प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक	सदस्य
प्रोफेसर दुर्गेश पन्त , निदेशक	सदस्य
प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक	सदस्य
प्रोफेसर बी0 एस0 बिष्ट, निदेशक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज।	सदस्य
प्रोफेसर डी0 पी0 सकलानी, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि0वि0।	सदस्य
कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0।	सदस्य, सचिव
परीक्षा नियंत्रक(प्रोफेसर पी0डी0 पन्त, निदेशक), उ0मु0वि0वि0।	विशेष आमंत्रित सदस्य
श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य

प्रोफेसर बी0 एम0 कुमार, गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर , प्रोफेसर एच0 पी0 शुक्ला,निदेशक, डॉ सूर्यभान सिंह , सहायक प्राध्यापक अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव/ सचिव मान्यता बोर्ड द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगणों का स्वागत करते हुए बैठक में भाग लेने हेतु आभार व्यक्त किया गया। तदुपरान्त वर्तमान बैठक की कार्यसूची विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

प्रस्ताव संख्या 7.1 **मान्यता बोर्ड की छठीं बैठक दिनांक 21 मार्च , 2017 के कार्य वृत्त की पुष्टि।(कार्यसूची का अनुलग्नक – 01)**

कार्यवाही :-

मान्यता बोर्ड की छठीं बैठक दिनांक 21 मार्च , 2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

261

प्रस्ताव संख्या 7 .2 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना दिनांक 23 जून , 2017 को यू0 जी0 सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम- 2017 के रूप में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 12वीं बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2017 के प्रस्ताव संख्या- 12.04 के माध्यम से अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप मानकों/ नियमों के अनुसार अध्ययन केन्द्रों की अद्यतन स्थिति से मान्यता बोर्ड को अवगत कराया जाना। (कार्यसूची का अनुलग्नक – 02)**

कार्यवाही :-

मान्यता बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 12वीं बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2017 के प्रस्ताव संख्या- 12.04 का संज्ञान लेते हुऐ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना दिनांक 23 जून , 2017 को यू0 जी0 सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम- 2017 के रूप में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

7.2.1- 155 अध्ययन केन्द्र जो उत्तराखण्ड के किसी भी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नही थे, ऐसे अध्ययन केन्द्रों का संचालन यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम- 2017 के 14 (1) व (2) के प्रावधानो के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 31/12/2018 को बन्द कर दिया गया है। (कार्यसूची का अनुलग्नक – 03)

कार्यवाही :-

मान्यता बोर्ड द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए 155 अध्ययन केन्द्र जो कि यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा), विनियम-2017 के मानकों के आधार पर किसी भी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नही थे, को बन्द करने के निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

7.2.2- 58 ऐसे राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान जो यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा), विनियम-2017 के अनुच्छेद 14 (1) व (2) के प्रावधानों के मानकों को पूरा करते हैं और पूर्व से संचालित है, को अध्ययन केन्द्र स्थापना नियमावली- 2016 के अनुसार संचालित किये जाने पर विचार एवम अनुमोदन।
(कार्यसूची का अनुलग्नक – 04)

260

कार्यवाही :-

उपरोक्त प्रस्ताव पर मान्यता बोर्ड द्वारा 58 राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

7.2.3 05 अशासकीय एवम राज्य सरकार से सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान एवम 01 निजी संस्थान(पूर्व से मानको के अनुरूप संचालित) को यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा), विनियम- 2017 के अनुच्छेद 14 (1) व (2) तथा अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 के प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाने पर विचार । (कार्यसूची का अनुलग्नक – 05- 'अ'05 अशासकीय एवम राज्य सरकार से सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान , 'ब'- 01 निजी संस्थान)

कार्यवाही :-

मान्यता बोर्ड द्वारा 05 अशासकीय एवं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों एवम 01 निजी संस्थान (पूर्व से मानको के अनुरूप संचालित) को संचालित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

7.2.4- विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 एंव यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा), विनियम-2017 के अनुच्छेद 14 (1) व (2) के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 30/12/2018 के उपरान्त नये स्थापित किये गये अध्ययन केन्द्र। (कार्यसूची का अनुलग्नक – 06- 'अ'- 04 राजकीय अध्ययन केन्द्र , 'ब'- 01 मान्यता प्राप्त निजी अध्ययन केन्द्र)

कार्यवाही :-

विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 एंव यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम- 2017 के अनुच्छेद 14 (1) व (2) के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 30/12/2018 के उपरान्त 04 राजकीय उच्चशिक्षणं संस्थानों में स्थापित किये गये नये 04 अध्ययन केन्द्रों एवम 01 मान्यता प्राप्त निजी उच्चशिक्षणं संस्थानों में स्थापित किये गये नये अध्ययन केन्द्र के संचालन हेतु मान्यता बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया गया।

7.2.5- कुमॉऊ विश्वविद्यालय द्वारा 04 कम्यूनिटी कालेज के माध्यम से समझौता पत्र द्वारा अधिकृत किये गये संस्थानों की मान्यता बनाये रखे जाने पर विचार। (कार्यसूची का अनुलग्नक–07)

कार्यवाही :-

मान्यता बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर समग्र विचार कर निर्णय दिया कि, छात्र हित में पूर्व से संचालित ऐसे 04 संस्थानों में नामांकित छात्रो जिनका पाठ्यक्रम अभी पूर्ण नही हुआ है, उनके पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक इन चारों अध्ययन केन्दों को संचालित किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि इन अध्ययन केन्दों को नये प्रवेश की अनुमति नही होगी। केवल छात्र हित में और होटल प्रबन्ध पाठयक्रम की मान्यता यू0जी0सी0 द्वारा समाप्त किये जाने के उपरान्त उपरोक्त अध्ययन केन्द्रों को केवल पूर्व पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने तक ही संचालित किया जायेगा।

7.2.6- वर्तमान में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त 09 आवेदनो की सूची मान्यता बोर्ड के संज्ञानार्थ। (कार्यसूची का अनुलग्नक – 08)

कार्यवाही :-

मान्यता बोर्ड द्वारा उपरोक्त 09 संस्थानों से प्राप्त आवेदन पत्र का संज्ञान लिया गया और विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 एंव यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम-2017 के आलोक में वि०वि० द्वाराउपरोक्त 09 संस्थाओं के अतिरिक्त विभिन्न उच्च्व शिक्षण संस्थाओं से अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनो के अनुसार नये अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु संस्थाओं के स्थलीय निरीक्षण एवम अध्ययन केन्द्रों को पाठ्यक्रम आवंटित किये जाने के लिए कुलपति जी को मान्यता बोर्ड ने अधिकृत किया।

प्रस्ताव संख्या 7 .3 **राज्य विश्वविद्यालय से विगत वर्षो में सम्बद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में संचालित अध्ययन केन्द्रों को मान्यता एवं नवीन अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु**

मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 के प्रावधानानुसार संचालित किये जाने पर विचार। (कार्यसूची की संलग्नक सूची संख्या – 01 व 02)

कार्यवाही :-

निजी शिक्षण संस्थानों के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 24 वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 के प्रस्ताव संख्या 24.18.02 पर लिये गये निर्णय का मान्यता बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया। बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि ऐसी उच्च शिक्षण संस्थायें जो किसी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थी और आगामी सत्रों के लिए उनके मान्यता/सम्बद्धता सम्बधी प्रकरण प्रक्रियाधीन है, उन्हें सम्बद्धित विश्वविद्यालय द्वारा जब तक असम्बद्ध नही कर लिया जाता, उक्त संस्थाओं में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र को यथावत संचालित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 7 .4 **अध्ययन केन्द्रों के नाम में परिर्वतन/ संशोधन पर विचार। (कार्यसूची का अनुलग्नक – 09)**

कार्यवाही :-

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया। अध्ययन केन्द्रों के नाम में परिर्वतन/ संशोधन के प्रस्ताव को मान्यता बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.5 **विश्वविद्यालय की 24वीं कार्य परिषद दिनांक 25 फरवरी, 2019 में पारित प्रस्ताव संख्या-24.18.2 के बिन्दु 1 से 5 में लिये गये निर्णयों से मान्यता बोर्ड को अवगत कराया जाना। (कार्यसूची का अनुलग्नक – 10)**

कार्यवाही :-

विश्वविद्यालय की 24वीं कार्य परिषद दिनांक 25 फरवरी, 2019 में पारित प्रस्ताव संख्या-24.18.2 के बिन्दु 1 से 5 में लिये गये निर्णयों को मान्यता बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया। मान्यता बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे निजी उच्चशिक्षण संस्थानों, जिनकी मान्यता नवीनीकरण/ विस्तारीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया गतिमान है , उन्हें उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र तब तक बनाये रखा जाय, जब तक

257

कि सम्बद्धता देने वाला विश्वविद्यालय सम्बन्धित संस्थान को असम्बद्धीकरण नहीं कर लेता है। उपरोक्त पर सहमति दी गई।

प्रस्ताव संख्य 7.6 **दिनांक 16/04/2019 को अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में आहूत विश्वविद्यालय निदेशकों की बैठक में लिये गये निर्णय मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ। (कार्यसूची का अनुलग्नक – 11)**

कार्यवाही :-

मान्यता बोर्ड द्वारा दिनांक 16/04/2019 को अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में आहूत विश्वविद्यालय निदेशकों की बैठक में लिये गये निर्णयों का संज्ञान लिया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 .7 **क्षेत्रीय सेवायें, निदेशालय के अधीन गठित समन्वय समिति की दिनांक 02 मई 2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ। (कार्यसूची का अनुलग्नक – 12)**

कार्यवाही :-

क्षेत्रीय सेवायें, निदेशालय के अधीन गठित समन्वय समिति की दिनांक 02 मई 2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त मान्यता बोर्ड द्वारा यथावत अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 .8 **विश्वविद्यालय की 12वीं वित्त समिति दिनांक 28 मार्च, 2019 की बैठक मे निदेशालय,क्षेत्रीय सेवायें द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मद संख्या- 12.11 एवं 12.12 मान्यता बोर्ड के विचारार्थ एवम अनुमोदनार्थ । (कार्यसूची का अनुलग्नक –13)**

कार्यवाही :-

उपरोक्त प्रस्ताव पर मान्यता बोर्ड अवगत हुई और अपनी सहमति दी।

256

प्रस्ताव संख्या 7.9 वर्तमान में संचालित अध्ययन केन्द्रों को यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम- 2017 के प्रावधानानुसार मान्यता प्राप्त विषयों में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित सूची पर उल्लिखित विवरण के अनुसार अनुमोदन पर विचार। (कार्यसूची का अनुलग्नक –14)

कार्यवाही :-

उपरोक्त प्रस्ताव पर मान्यता बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि जिन अध्ययन केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धता प्राप्त विषयों में स्नातक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है ,उन अध्ययन केन्द्रों में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को राज्य के दुर्गम स्थलों तक सर्व सुलभ बनाने के लिए ऐसे विषयों जो अध्ययन केन्द्रों में स्नातक स्तर पर संचालित है , और जिन अध्ययन केन्द्रों के पास स्नाकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु आधारभूत ढ़ाचा उपलब्ध है , दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा स्नाकोत्तर विषयों में भी पाठयक्रम संचालित किये जाने चाहिये। मान्यता बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7.10 मानक पूर्ण करने वाले वर्तमान में संचालित अध्ययन केन्द्रों को व्यापक क्षेत्रों (Broad Area's) प्रावधानानुसार प्रस्तावित विषयों में पाठयक्रम संचालन किये जाने की अनुमति पर विचार। (कार्यसूची का अनुलग्नक –15)

कार्यवाही :-

यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम- 2017 के आलोक में दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा को व्यापक क्षेत्रों (Broad Area's) में दुर्गम स्थलों तक सर्व सुलभ बनाये जाने के दृष्टिगत मान्यता बोर्ड द्वारा उन अध्ययन केन्द्रों जिनके पास स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के संचालन की मान्यता है तथा स्नाकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम संचालन हेतु मानव संसाधन और बुनियादी ढ़ाचा उपलब्ध है, ऐसे अध्ययन केन्दों द्वारा आवेदन किये जाने पर जिन विषयों में स्नातक स्तर की मान्यता प्राप्त है उन्ही विषयों में स्नाकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की मान्यता दिये जाने का अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 .11 अध्ययन केन्द्र स्थापना मानक/मापदण्ड नियमावली – 2016 के प्रावधानों के आलोक में आदर्श अध्ययन केन्द्र की पुनर्सरंचना कर प्रशासनिक एवम वित्तीय अधिकार दिये जाने पर विचार।
(कार्यसूची का अनुलग्नक 16– की बिन्दु संख्या- 02)

कार्यवाही :-

कुलपति जी द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर गठित समिति की आंख्या पर मान्यता बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि, आर्दश अध्ययन केन्द्रों को अन्य अध्ययन केन्द्रों के अनुरूप ही अध्ययन केन्द्र स्थापना मानक/मापदण्ड नियमावली – 2016 के प्रावधानानुसार पुनर्गठित किया जाय और तदनुसार संचालित किया जाये। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय के दोनों आर्दश अध्ययन केन्द्रों के पृथक से खाते खोले जायें जिसका संचालन वित्त नियंत्रक द्वारा किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या 7 .12 सी0 एम0 हेल्प लाईन शिकायत विवरणी में दर्ज शिकायत सहित ऐसे समस्त प्रकरणों के निस्तारण पर विचार।

कार्यवाही :-

उपरोक्त प्रस्ताव का मान्यता बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया और अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 .13 अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 के अनुलग्नक-1 में प्रमोशनल एक्टिवीटीज 'शीर्ष' के अन्तर्गत धनराशि आंवटित किये जाने पर विचार। (कार्यसूची का अनुलग्नक 16– की बिन्दु संख्या- 04)

कार्यवाही :-

अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 एवम यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम- 2017 के अनुच्छेद- 15 के आलोक में मान्यता बोर्ड द्वारा अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 के अनुलग्नक-1 में एक अतिरिक्त शीर्ष 'प्रमोशनल एक्टिवीटीज' के अन्तर्गत 0 से 200 तक पंजीकृत छात्रों वाले अध्ययन केन्द्रों हेतु रूपया 10000(रूपया दस हजार) व 200 से अधिक पंजीकृत छात्रों वाले अध्ययन केन्द्रों हेतु रूपया 15000(रूपया पन्द्रह हजार)

254

वार्षिक दिये जाने पर समिति द्वारा संतुति की गई। अध्ययन केन्द्रों को आवंटित उक्त धनराशि के वार्षिक सत्यापन का भी प्रावधान किये जाने पर मान्यता बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 .14 अध्ययन केन्द्रों को भुगतान प्रक्रिया पर विचार। (कार्यसूची का अनुलग्नक 16 – की बिन्दु संख्या- 03)

कार्यवाही :-

मान्यता बोर्ड द्वारा यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम- 2017 लागू होने के उपरान्त बन्द हो चुके 155 अध्ययन केन्द्रों का संज्ञान लेते हुए उक्त प्रकरण पर कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 15/05/2019 के बिन्दु संख्या-03 पर समिति द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत अनुमोदित किया गया। है।

प्रस्ताव संख्या 7 .15 विश्वविद्यालय की 12वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 28 मार्च, 2019 पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मद संख्या- 12.12 पर लिये गये निर्णय पर माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर विचार एवम अनुमोदन। (कार्यसूची का अनुलग्नक 16 – की बिन्दु संख्या– 05)

कार्यवाही :-

विश्वविद्यालय की 12वीं वित्त समिति दिनांक 28 मार्च, 2019 पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मद संख्या- 12.12 पर लिये गये निर्णय पर माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर मान्यता बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत कार्मिकों को उनके कार्य/दायित्वों (जिसमें प्रवेश आवेदन पत्रों की पुष्टि, अंकन, सत्रीय कार्य का अंकन आदि कार्यो हेतु) के लिए दिये जाने वाले मानदेय को कुमॉऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्ही कार्यो हेतु दिये जा रहे पारिश्रमिक (प्रति छात्र) के समतुल्य किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रकरण को वित्त समिति के विचारार्थ रखे जाने का निर्देश दिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 .16 नये अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु कुलपति जी द्वारा गठित स्थलीय निरीक्षण समिति द्वारा किये गये 09 अध्ययन केन्द्रों के स्थलीय निरीक्षण की सूची मान्यता बोर्ड के संज्ञानार्थ। (कार्यसूची का अनुलग्नक- 17)

कार्यवाही :-

नये अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु कुलपति जी द्वारा गठित स्थलीय निरीक्षण समिति द्वारा किये गये 09 अध्ययन केन्द्रों के स्थलीय निरीक्षण की सूची का मान्यता बोर्ड द्वारा संज्ञान ग्रहण किया गया एवम अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 एवम यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम- 2017 के आलोक में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया ।

प्रस्ताव संख्या 7 .17 दिनांक 31/12/2018 से पूर्व (सत्र 2017- 18 ग्रीष्म से 2018-19 ग्रीष्म) में बन्द अध्ययन केन्द्र की सूची संज्ञानार्थ एवम अनुमोदनार्थ।(कार्यसूची का अनुलग्नक- 18)

कार्यवाही :-

मान्यता बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लिया एवम अनुमोदन प्रदान किया ।

प्रस्ताव संख्या 7 .18 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव ।
(कार्यसूची का अनुलग्नक- 19)

प्रस्ताव संख्या- 01 अध्ययन केन्द्रों में छात्र सहायता सेवाओं को सुदृढ़ किये जाने विषयक प्रस्ताव ।

कार्यवाही :-

अध्ययन केन्द्रों में छात्र सहायता सेवाओं को सुदृढ़ किये जाने हेतु छात्र सहायता केन्द्र बनाये जाने पर मान्यता बोर्ड द्वारा संतुति की गई। शिक्षार्थियों की समस्याओं के निवारण हेतु अध्ययन केन्द्रों में विषयवार नियुक्त समन्वयक/ परामर्शदाताओं की सूची को बेवसाइट में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया । अध्ययन केन्द्र का समन्यवयक परामर्शदाताओं के बायोडाटा संस्थाअध्यक्ष से प्रमाणित करा कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करेगा । विश्वविद्यालय के अनुमोदन के उपरान्त उपरोक्त परामर्शदाता अध्ययन केन्द्र में परामर्श सत्रों का संचालन करेगें ।

उक्त के अतिरिक्त अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 के आधार भूत ढाचें को सुदृढ़ किये जाने के साथ-साथ छात्र सहायता सेवाओं को सक्षम बनाये जाने के लिये किसी भी तरह की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु एक कमेटी के माध्यम से अनुमोदित प्रस्ताव का परीक्षण कर उन्हे सुविधायें दिये जाने पर भी मान्यता बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव संख्या– 02 अध्ययन केन्द्रों के खाते में उपलब्ध धनराशि के उपयोग हेतु नीतिगत निर्णय किये जाने पर विचार ।

कार्यवाही :-

उपरोक्त प्रस्ताव पर मान्यता बोर्ड द्वारा समग्र विचारोपरान्त निर्णय लिया कि छात्र सहायता सेवाओं एवम दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा के विकास हेतु अध्ययन केन्द्र समन्वयक संस्थाअध्यक्ष के माध्यम से समिति गठित कर उपलब्ध धनराशि के उपयोग की प्रक्रिया निर्धारित करते हुये आवश्यकतानुसार धनराशि का उपयोग कर सकेगें सुविधाओं व आधारभूत ढ़ॉचे के विकास हेतु सम्बन्धित केन्द्र विश्वविद्यालय को औचित्य बताते हुए प्रस्ताव प्रेषित करेगा। विश्वविद्यालय ऐसे प्रस्तावों का परीक्षण कर आवश्यक वित्तीय सहायता का प्रावधान करेगा।

प्रस्ताव संख्या–03 यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम- 2017 के आलोक में अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने हेतु समिति के गठन पर विचार।

कार्यवाही :-

मान्यता बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम-2017 के आलोक में अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम-2016 में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया जाये। इस हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

२५१

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य की भौगोलिक स्थिति एवम राज्य से युवाओं के हो रहे पलायन को ध्यान में रखते हुऐ मान्यता बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा के प्रचार व प्रसार के साथ ऐसे डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को राज्य में संचालित किया जायें जिससे राज्य के छात्र/ छात्राओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर प्रदान कराये जा सकें। इस हेतु एक कमेटी के माध्यम से जिसकी अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जायेगी उन डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स का चयन कर एवम सम्बन्धित संस्था जिसके माध्यम से उक्त डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किये जायेगे, का परीक्षण कर अभिनव पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाय। कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ऐसे विकासोन्मुखी कार्यक्रमों के लिये ‘माडेलिटीज’ तय करने का निर्णय भी लिया गया। ऐसे अभिनव पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्रस्ताव को आगामी कार्यपरिषद में ले जाने हेतु मान्यता बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त के क्रम में मान्यता बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में ऐसे अध्ययन केन्द्र जो डिप्लोमा /सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के संचालन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करे उसे सम्मानित किया जाय। इस प्रक्रिया को एक कमेटी के माध्यम से जिसमे बाहय विशेषज्ञों को भी सम्मिलत किये जाने पर मान्यता बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया गया। मान्यता बोर्ड द्वारा उक्त समिति के गठन के के लिये कुलपति को अधिकृत किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद एवं समस्त सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव/ कुलसचिव